न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 249/2021

राजेन्द्र चौधरी पुत्र बिरमा जाट निवासी नून्दड़ा तहसील मकराना जिला नागौर राज.

—प्रार्थी

बनाम

1. रामदेव पुत्र काना वगै. जाति तेली निवासी जुनिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तह.केकडी जिला अजमेर

—अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

श्री इमदाद अली — वकील प्रार्थी

पेरोकार सरकार — अप्रार्थीगण स. 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा (1)

आदेश

दिनांक 12.3.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित हुये। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात जो कि ग्राम जुनिया तहसील केकडी जिला अजमेर कि है जिसकी जमाबंदी संवत् 2073—76 के खाता संख्या नया—पुराना 1307—844 के खसरा नंबर 7169/1159 रकबा 0.32 है. किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का प्रार्थी के कब्जे काश्त व आधिपत्य की आराजीयात है। जो प्रार्थी के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। प्रार्थी इसी आराजीयात में पालतु जानवर बांधता है , प्रार्थी की खातेदारी के दक्षिण ओर खसरा नंबर 1159 है जो अप्रार्थी संख्या 1 कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य वाली है एवं इसके पश्चात दक्षिण दिशा मे खसरा नं 1577 है जो चारागाह भूमि है प्रार्थी को स्वयं की आराजी खसरा नंबर 7169/1159 मे से चरागाह मे जाने के लिए खसरा नंबरा 1577 जो चरागाह मे पालतु जानवर चरने हेतु आते जाते है उक्त रास्ता अप्रार्थी 1 के खाते की भूमि से लगवा अप्रार्थी की मेड से होते हुये जाते आते है। अप्रार्थी स. 1 दिनांक 5.12.2021 को प्रार्थी के खेत के रास्ते को अवरूद्व करने की धमकी दी इस रास्ते पर तुम्हारा कोई अधिकार नही है इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ । जिसे स्वीकार फरमाने कि प्रार्थना कि है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । दिनांक 12.3.22 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बाद तामिली नोटिस के भी अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित होने पर उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट लोक अदालत के दौरान ही पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)

Scanned with CamScanner

पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

1. ग्राम जूनियां के आराजी खसरा नम्बर 7169/1159 रकबा 0.32 है. मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार राजेन्द्र चौधरी पुत्र बिरमाराम जाट सा.नून्दडा तहसील मकराना जिला नागौर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. प्रार्थी खसरा नम्बर 1159 में से आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जमाबन्दी रिकॉर्ड अनुसार रामदेव पुत्र काना कोम तेली साहिन बीओबी जूनियां में नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
3. प्रार्थी को आने जाने हेतु इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।
4. यह है कि रास्ते में किसी प्रकार से वृक्ष, पेड,कुए, आदि नहीं है।
5. ग्राम जूनियां में खसरा नम्बर 1159 में रास्ते में पडने वाली भूमि 72x6=432व.मी. है ग्राम जूनियां की वर्तमान डी.एल.सी. दर 240570 प्रति है. है रास्ते में पडने वाली भूमि की किमत 10400/– की दुगनी राशि 20800/– रूपये बनती है।
6. प्रार्थी रास्ते हेतु निर्धारित शुल्क जमा राजकोष जमा हेतु तैयार है।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकारी करने हेतु निवेदन किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों एंव मोका रिपोर्ट पर गहनता से मनन किया । प्रार्थी की आराजी संख्या 7169/1159 में आवागमन करने का सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षी स. 1 के आराजी खसरा नम्बर 1159 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी नम्बर 1159 भूमि में से 72x6=432 व.मी. भूमि उपयोग में आ रही है। नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षी स. 1 के आराजी खसरा नम्बर 1159 भूमि में से 72x6=432 व. मी. भूमि उपयोग में आ रही है। ग्राम जूनियां की वर्तमान डी.एल.सी. दर 240570 प्रति है. है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने जाने वाली भूमि के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर से मालीयत 10400/– रूपये होती है। जिसकी दुगनी राशि 20800/– रूपये प्रार्थी अप्रार्थी स. 1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी खसरा नम्बर 1159 में से सिवायचक सार्वजनिक गै.मु. रास्ते हेंतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रार्थी से उक्त 20800/– राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी स. 1 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें अप्रार्थी स. 1 द्वारा राशि प्राप्त नही करनें पर उक्त राशि जमा राजकोष में जमा करवायी जाकर ग्राम जूनियां की आराजी खसरा नम्बर 7169/1159 में आने जाने के लिये रास्ता मौके पर्चे में वर्णितानुसार एंव नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ते के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2022 को [illegible] में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
तालुका विधिक सेवा स[illegible]

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकडी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner